भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2266
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 15 मार्च, 2018 को दिया जाना है

पर्यावरण-हितैषी वाहन

2266. श्री एन गोकुलकृष्णन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्युत वाहन नीति की अनुपस्थिति देश में पर्यावरण-हितैषी वाहनों को विकसित करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार वाहन निर्माताओं को पर्यावरण हितैषी वाहनों के निर्माण संबंधी उनकी योजना की दिशा में आगे बढ़ने में अपना समर्थन देना जारी रखेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार विकास और इसकी विनिर्माण पारिस्थितिकी की सहायता करने के लिए सरकार ने मार्च 2015 में एक योजना नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] तैयार की। मूलतः यह स्कीम दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से आरंभ होकर 31 मार्च, 2017 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए थी, लेकिन इसे एक वर्ष अवधि अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2018 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस योजना के चार प्रमुख क्षेत्र हैं, अर्थात प्रौद्योगिकी विकास, मांग का सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना।

विद्यमान योजना में, इको-फ्रेंडली वाहनों के विनिर्माण हेतु वाहन विनिर्माताओं की सहायता करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों (एक्सईवी) को किफायती बनाने के लिए इसे व्यापक रूप से अपनाने हेतु अपफ्रंट कम किए गए खरीद मूल्य के रूप में एक्सईवी के खरीददारों के लिए मांग प्रोत्साहन उपलब्ध है।

इसके अलावा, इस नई प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता/संवर्धन को समर्थ बनाने के लिए योजना के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के तहत विशिष्ट परियोजनाओं का वित्तपोषण भी किया गया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है।

इस योजना की अधिसूचना में यह प्रावधान है कि स्टेकहोल्डरों से इनपुट और भविष्य में निधियों के पर्याप्त आवंटन के साथ चरण-I के बाद कार्यान्वयन हेतु चरण-I में प्राप्त अनुभव और उपलब्धि के आधार पर स्कीम की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी।

तदनुसार, नीति आयोग ने शून्य उत्सर्जन वाहनों और सहायक प्रौद्योगिकियों को आरंभ के लिए ट्रांसफॉरमेटिव मोबिलिटी को बढ़ाने हेतु एक कार्यनीति विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ की है।

******